भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2288

दिनांक 31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बस्तर में सिकल सेल एनीमिया

2288. श्री महेश कश्यपः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बस्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिकल सेल एनीमिया, मलेरिया, तपेदिक (टीबी) तथा कुपोषण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत अब तक जांच किए गए तथा उपचार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) जिला अस्पतालों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों तथा आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में मोबाइल चिकित्सा इकाइयों तथा टेलीमेडिसिन सेवाओं को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) एवं (ख): राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (एनएससीएईएम) के अंतर्गत, 17 प्रभावित जनजातीय राज्यों में जिला अस्पताल (डीएच) से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) स्तर तक सभी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर लक्षित आयु वर्ग 0–40 वर्ष के व्यक्तियों की सिकल सेल रोग (एससीडी) की पहचान हेतु जांच की जाती है।

राज्यों द्वारा एससीडी पोर्टल पर प्रदान की गई सूचना के अनुसार, दिनांक 26.07.2026 की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में की गई जांचों और रोगी एवं वाहक के रूप में चिन्हित व्यक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

जिले का नाम	की गई कुल जांचें	रोगग्रस्त व्यक्तियों की संख्या	वाहक व्यक्तियों की संख्या
बस्तर	614270	897	8567
बीजापुर	141184	76	1943
दंतेवाड़ा	191862	46	276
कोंडागांव	550655	641	11936
नारायणपुर	51905	49	611
सुकमा	144517	81	981
	1694393	**1,790**	**24,314**

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीवीबीडीसी) द्वारा मलेरिया सहित वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) नामक एक समेकित कार्यक्रम संचालित किया जाता है। बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मलेरिया की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

जिले का नाम	2025
	मलेरिया के मामले
बस्तर	2887
बीजापुर	9166
दंतेवाड़ा	3294
कोंडागांव	1784
नारायणपुर	3619
सुकमा	4056

पिछले और चालू वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों में अधिसूचित टीबी मामलों की संख्या निम्नानुसार है:

जिले का नाम	**2025 (जनवरी-दिसंबर)**	**2026 (जनवरी-जून)***
बस्तर	1642	819
बीजापुर	484	203
दंतेवाड़ा	625	346
कोंडागांव	573	277
नारायणपुर	295	131
सुकमा	547	192
	4166	**1968**
*डेटा स्रोत: निक्षय पोर्टल (दिनांक 27.07.2026 की स्थिति के अनुसार)		

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) छत्तीसगढ़ सहित देशभर में एनीमिया, कुपोषण तथा अन्य स्वास्थ्य संकेतकों में हुए प्रमुख परिवर्तनों का विवरण प्रदान करता है। एनएफएचएस-6 के प्रमुख संकेतकों की राज्य -वार सूची नीचे दिए गए लिंक से प्राप्त की जा सकती है:

https://www.mohfw-dohfw.gov.in/static/uploads/2026/05/111ff4a13ca36b5cabb7f94aec5bb0ce.pdf

(ग): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी समग्र संसाधन सीमा के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में प्रस्तुत आवश्यकताओं के आधार पर उनकी स्वास्थ्य सेवा तंत्र प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार मानदंडों एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार प्रस्तावों के कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) के रूप में अनुमोदन प्रदान करती है।

'हेल्थ डायनॉमिक्स ऑफ इन्डिया' (एचडीआई), एक वार्षिक प्रकाशन है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी प्रशासनिक आंकड़ों पर आधारित है। देशभर में डॉक्टरों, विशेषज्ञों एवं नर्सिंग कार्मिकों की उपलब्धता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण एचडीआई 2023-24 के माध्यम से निम्नलिखित लिंक पर एचएमआईएस पोर्टल के अंतर्गत प्रकाशनों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है: https://hmis.mohfw.gov.in

(घ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत दुर्गम भू-भागों में स्थित उन दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में, जो अल्पसेवित और पहुंच से बाहर हैं, संपर्क सेवाएं मुहैया कराने के लिए मोबाइल चिकित्सा इकाइयों (एमएमयू) को

सहायता प्रदान की जाती है। एनएचएम के अंतर्गत जनजातीय/पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुंच को सुदृढ़ करने हेतु मानदंडों में ढ़ील दी गई है। मैदानी जिलों में 2 एमएमयू की तुलना में जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में प्रति जिला 4 एमएमयू की अनुमति प्रदान की जाती है। एनएचएम-एमआईएस रिपोर्ट के अनुसार, देशभर में कुल 1,546 एमएमयू तैनात की गई हैं।

राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा के अंतर्गत, देश में मरीजों, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं एवं बीमार शिशुओं को घर से जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों तक लाने ले जाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत 3,287 उन्नत जीवन रक्षक (एएलएस), 15,472 बुनियादी जीवन रक्षक (बीएलएस), 3,912 रोगी परिवहन वाहन (पीटीवी), 19 नाव एम्बुलेंस, 81 बाइक इमर्जेंसी रेस्पांस वीकल तथा 5,701 अन्य पैनलबद्ध वाहनों हेतु सहायता प्रदान की जा रही है।

देशभर में सभी कार्यशील आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) में उपलब्ध टेलीपरामर्श सेवाएं लोगों को उनके घरों के निकट विशेषज्ञ सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं जो आवागमन और सेवा प्रदाताओं की कमी जैसी समस्याओं का समाधान करती हैं तथा निरंतर स्वास्थ्य परिचर्या को सुगम बनाती हैं।
